संख्या-3/2022/297/एक-1-2022-5(13)/2016

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जालौन स्थान-उरई।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 12 जुलाई, 2022

विषयः- M/S SAEL Limited गुरूहरसराय जनपद फिरोजपुर (पंजाब) द्वारा ग्राम शाहपुरा, खुटैला, मवासा, तहसील कोंच, जनपद जालौन में 32 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना हेतु 62.410 हे0 भूमि क्रय करने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-26/8-डी0एल0आर0सी0, दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल सौर ऊर्जा के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) यथा संशोधित की धारा-89 की उपधारा (3) व उपधारा (4) (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके M/S SAEL Limited गुरूहरसराय जनपद फिरोजपुर (पंजाब) ग्राम शाहपुरा, खुटैला, मवासा, तहसील कोंच, जनपद जालौन में 32 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना हेतु 62.410 हे0 भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैः-

i. सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु भूमि का संक्रमण संस्था के नाम निर्धारित मानकों अनुसार भूमिधरों से आपसी समझौते के आधार पर क्रय किया जायेगा। संस्था द्वारा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत विभाग द्वारा निर्धारित मानक से अधिक भूमि का संक्रमण कदापि नहीं किया जायेगा।

ii. संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन अर्थात् सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति शून्य समझी जायेगी तथा प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

iii. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की भूमियों का संक्रमण उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-98/99 में विहित प्राविधानों के तहत किया जायेगा। जिलाधिकारी जालौन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संस्था द्वारा असंक्रमणीय श्रेणी के भूमिधरों की भूमि का क्रय कदापि न कर सके।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

iv. संस्था द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 (यथासंशोधित) की धारा-89 उपधारा-(3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक-05 वर्ष के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा-89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित/क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा-105 के परिणाम लागू होंगे। परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी अनुज्ञा की अवधि को तद्निमित्त कारण अभिलिखित करने के पश्चात् अग्रेतर तीन वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

भवदीय,
सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी।
(4) निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(5) M/S SAEL Limited फरीदकोट रोड, गुरूहरसराय, जनपद फिरोजपुर (पंजाब) पिन कोड-152022
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।